

Sl. No.	Information sought	Information provided
1.	<p>नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorized होगी या unauthorized होगी लिखित में जानकारी दी जाए।</p>	<p>प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जो की हेरिटेज सूची में है। उसको HCC से अनुमोदित करवाना अनिवार्य है।</p>
2.	<p>नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorized होगी या unauthorized होगी लिखित में जानकारी दी जाए।</p>	
3.	<p>नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता है और फिर नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन उस बिल्डिंग को बुक कर लेती है बुक करने से मतलब क्या वह बिल्डिंग unauthorized हैं लिखित में जानकारी दी जाए।</p>	
4.	<p>नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता है तो क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम से किया गया सेगसन बिल्डिंग प्लान लीगल है या अनलीगल हैं लिखित में जानकारी दी जाए।</p>	
5.	<p>नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो आप उसके खिलाफ सिविल क्रिमिनल क्या क्या कार्यवाही करते हैं लिखित में जानकारी दी जाए।</p>	

6.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग प्लान सेगसन कर सकता है या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।	
7.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं और वह शाहजहानबाद इनवेनटरी ऑफ हेरिटेज-1 में उस बिल्डिंग की फोटोग्राफ हैं और बिल्डिंग का विवरण जैसे Plan Form, Height, Transformation Conditions-Plan, Elevation, Walls, Plinth Decoration-Doors, Windows, Columns, Entablature, Brackets, Chajjas, Balcony Railings, हैं इन सब को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए HCC या उत्तरी दिल्ली नगर निगम दोनों या किसी एक से अनुमति लेना जरूरी है या बिना अनुमति लिए भी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बना सकते हैं लिखित में जानकारी दी जाए।	